



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2725]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 7, 2013/अग्रहायण 16, 1935

No. 2725]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 7, 2013/AGRAHAYANA 16, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2013

विषय : बैंक्वेट हॉल की अनुमति विनियम, 2010

(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

शुद्धि-पत्र

का.आ. 3598(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 2272(अ) दिनांक 21-9-2012 का अवलोकन करें।

2. शीर्षक बैंक्वेट हॉल की अनुमति विनियम, 2010 को बैंक्वेट हॉल की अनुमति विनियम-2012 के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. एफ-3(39)2008-एम.पी.]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2013

Sub : The (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010
(Under Section 57 of DD Act, 1957)

CORRIGENDUM

S.O. 3598(E).—Reference is invited to the Development Authority's extraordinary Gazette Notification No. S.O. 2272(E) dated 21-9-2012.

2. The title The (Permission of Banquet Halls) Regulations, 2010 may be read as The (Permission of the Banquet Halls) Regulations, 2012.

[F.No. F. 3(39)2008-MP]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.